

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज.)

प्रकरण संख्या 148/2017

मन्जु देवी दुब्बे

बनाम बालु देवी वर्मा

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक-16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री मन्जु देवी दुब्बे ने जरिये अधिभाषक श्री S.M. Jinger Ad. ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल खाते की भूमि ग्राम जापरपुरा प0ह0 माण्डलगढ तह0 माण्डलगढ में आ कित्ता 165, 166, 175, 187, 188

रकबा बीघा बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीयण आये दिन विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जाय साथ से प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिभक्त की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत के अवलोकन से प्रार्थी के आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काशतकार है। पडौसियान के विवाद का शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0क्ट स्वीकार किया गया। ग्राम जापरपुरा की आराजी न0 165, 166, 175, 187, 188

रकबा 5 बीघा 08 बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 250 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।


अधिकारी